न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 11/2018

1. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मगन सिंह, जाति राजपूत, निवासी बवाल तहसील परबतसर जिला नागौर हाल निवासी बी 65 अयोध्या नगर भूरा पटेल मार्ग गांधी पथ (पश्चिम) जयपुर।

.....निगरानीकार

बनाम

1. सुमन कंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपूत, निवासी बवाल तहसील परबतसर जिला नागौर।
2. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मायापुर, पंचायत समिति परबतसर, तहसील परबतसर, जिला नागौर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत मायापुर, पंचायत समिति परबतसर, तहसील परबतसर, जिला नागौर।

.....गैरनिगरानीकार

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम बविरूद्ध पट्टा संख्या 47/21.11.2017, ग्राम पंचायत मायापुर को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री नेमीचन्द शर्मा, श्री वी.पी. सिंह राठौड़ गैरनिगरानीकार संख्या 01 ओर से।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मायापुर स्वयं निगरानीकारी संख्या 02।

निर्णय

दिनांक :–31.08.2021

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी भूमि विलेख पट्टा संख्या 47/21.11.2017 जो सुमन कंवर पत्नी करणसिंह निवासी बवाल के नाम से जारी है, को निरस्त करवाने बाबत पेश की गयी है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत मायापुर से रिकॉर्ड तलब किया गया।
2. गैरनिगरानीकार संख्या 01 की तरफ से विद्वान अधिवक्तागण श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री नेमीचन्द शर्मा व श्री वी.पी. सिंह राठौड द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिन्हे शामिल मिस्ल किया गया।
3. गैरनिगरानीकार संख्या 02 श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मायापुर स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति दर्ज की गई व गैर निगरानीकार संख्या 03 सरपंच, ग्राम पंचायत मायापुर बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. निगरानीकार द्वारा जरिये अधिवक्ता गैरनिगरानीकार के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :

A. ग्राम बवाल के आम गुवाड़ में निगरानीकार की जायगा स्थित है। जिसके उत्तर में शक्ति सिंह पुत्र दशरथ सिंह, दक्षिण में पूर्ण सिंह पुत्र दशरथ सिंह पूर्व में स्वयं का जायगा व पश्चिम में आम रास्ता है।

B. निगरानीकार का उक्त भूखण्ड का क्षैत्रफल 5396 वर्गफुट है जो कि लगभग 50–60 साल पुरानी है। निगरानीकार के इस भूखण्ड अतिरिक्त एक भूखण्ड सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के खेलकुद के प्रयोजन से दी हुई थी। उक्त विद्यालय 2006 में बन्द होने पर उक्त भूखण्ड निगरानीकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया था परन्तु निगरानीकार के जयपुर रहने के कारण उक्त भूखण्ड सार संभाल व देखभाल के लिए गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पिता रघुवीरसिंह पुत्र मदन सिंह को दिया हुआ था। जिसका पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पति करण सिंह द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 02 व 03 को मुगालते में रखकर बना लिया था जिसे अपास्त करने के लिये निगरानी अलग से पेश की हुई है। इस जायगा के चिपते ही निगरानीकार की जायगा है जिसका नाप 3655 वर्गफुट है। निगरानीकार के जयपुर रहने का फायदा उठाते हुए गैर निगरानीकार संख्या 01 ने निगरानीकार की उपरोक्त वर्णित भूमि को हड़पने के लिए अन्य गैरनिगरानीकारों से सांठ–गांठ कर मिथ्या तथ्यों के आधार पर बिना विधिक प्रक्रिया के पालन किये हुये पट्टा संख्या 47 अपने पक्ष में जारी करवा लिया।

C. सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मायापुर ने मौके की स्थिति के विपरित, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री की बिना जांच किये हस्तगत भूमि को गैरनिगरानीकार संख्या 01 की पैतृक भूमि मानते हुये पट्टा जारी कर न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर घोर विधिक व तथ्यात्मक त्रूटि की है इत्यादि–इत्यादि कथन करते हुये निगरानी स्वीकार कर आवासीय पट्टा संख्या 47 दिनांक 21.11.2017 निरस्त करने का कथन किया गया है।

D. निगरानीकार द्वारा निगरानी के संलग्न ग्राम पंचायत मायापुर की पट्टा मिसल संख्या 06/2017 सुमन कंवर पत्नी करण सिंह की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

5. निगरानीकार द्वारा दिनांक 18.06.2018 को ग्राम बवांल के निवासी श्री हेम सिंह पुत्र मगन सिंह, श्री तेज प्रताप सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह, श्री मोहन राम पुत्र श्री प्रताप राम, श्री मोहनसिंह पुत्र अमराव सिंह एवं श्री पेमाराम पुत्र श्री मंगाराम शपथ पत्र व ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक SPL दिनांक 10.10.2012 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसे शामिल मिसल किया गया।
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मायापुर, पचायत समिति परबतसर द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.06.2018 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मायापुर का पट्टा संख्या 42 दिनांक 21.11.2017 से संबंधित मूल रिकॉर्ड यथा मूल मिसल संख्या 06/2017 मय मूल पट्टा संख्या 47 प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया।
7. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी जिसमें :–

A. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह ने बहस में

जायगा स्थित है, उक्त भूखण्ड का क्षैत्रफल 5396 वर्गफुट है जो कि लगभग 50–60 साल पुरानी है। निगरानीकार के इस भूखण्ड अतिरिक्त एक भूखण्ड सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के खेलकुद के प्रयोजन से दी हुई थी। उक्त विद्यालय 2006 में बन्द होने पर उक्त भूखण्ड निगरानीकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया था परन्तु निगरानीकार के जयपुर रहने के कारण उक्त भूखण्ड सार संभाल व देखभाल के लिए गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पिता रघुवीरसिंह पुत्र मदन सिंह को दिया हुआ था। जिसका पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पति करण सिंह द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 02 व 03 को मुगालते में रखकर बना लिया था जिसे अपास्त करने के लिये निगरानी अलग से पेश की हुई है। इस जायगा के चिपते ही निगरानीकार की जायगा है जिसका नाप 3655 वर्गफुट है। निगरानीकार के जयपुर रहने का फायदा उठाते हुए गैर निगरानीकार संख्या 01 ने निगरानीकार की उपरोक्त वर्णित भूमि को हड़पने की नियत से संरपंच से सांठ–गांठ कर उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु मिथ्या तथ्यों के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत आवेदन पेश किया उक्त नियम पट्टे निर्माण हेतु प्रावधान दिया गया है, कि **"ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगें। ऐसी भूमि का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।"** जबकी हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पंचो की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर आवेदक पात्र नहीं होने के उपरान्त भी उसे भूमि का पट्टा संख्या 47 जारी कर दिया गया। जबकी प्रस्तुत प्रकरण में –

–आवेदक द्वारा अपने आवेदन में भूमि पर 02 वर्ष से कब्जा होने का कथन किया है व आवेदन के संलग्न शपथ–पत्र में गत 02 वर्ष से कब्जा होने का कथन करते हुये दस्तावेजी सबूत के रूप में 17.03.2017 का अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का विद्युत बिल पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य भूमि के स्वामित्व का पेश नहीं किया गया है।

–जबकी उक्त जैर निगरानी भूखण्ड निगरानीकार की पैतृक स्वामित्व का भूखण्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार के पिता श्री मगन सिंह राठौड़ के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक SPL दिनांक 10.10.2012 द्वारा पूर्व में जारी किया गया है, जिसकी प्रति निगरानी पत्रावली में निगरानीकार द्वारा पेश की हुई है।

–निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के समय निवेदन किया कि सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मायापुर ने मौके की स्थिति के विपरित, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री की बिना जांच किये उक्त भूमि का पट्टा जारी कर न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996

है जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकार संख्या 01 को जारी पट्टा संख्या 47 खारिज फरमावें।

B. गैरनिगरानीकार संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत सिंह ने निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 47 नियमानुसार ही जारी किया गया है। गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत मायापुर में आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु लिखित आवेदन दिया एवं उक्त आवेदन के साथ आवेदन शुल्क रूपये 70/– दिनांक 21.03.2017 को जमा करवाये। तत्पश्चात् उक्त भूमि बाबत आपत्तियों की सूचना हेतु सूचना पत्र दिनांक 06.04.2017 को ग्राम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया व गवाहों के चस्पानगी के हस्ताक्षर भी करवाये। उक्त पट्टे बाबत ग्राम पंचायत द्वारा पंचो की कमेटी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई व गैरनिगरानीकार संख्या 01 व पड़ोसियों के शपथ पत्र लिये जाकर समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिनांक 21.11.2017 को समस्त ग्राम पंचायत के वार्ड पंचान, उप सरपंच व सरपंच द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अन्य आवेदकों के साथ गैर निगरानीकार सुमन कंवर के नाम उपपंजीयन अधिकारी पीलवा से पंजीकृत करवा कर पट्टे की सम्पूर्ण राशी प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है जो विधि अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर ही जारी किया गया है। उक्त हस्तगत प्रकरण की जायगा पर सुमन कंवर का कदीमी समय से कब्जा व आधिपत्य रहा है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके कब्जे सुदा भूमि के पट्टे बनाने के निर्देश दिये जाने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया है। जिस पर वर्तमान समय में गैरनिगरानीकार सुमन कंवर का वास्तविक व भौतिक कब्जा है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकार द्वारा बहस में किये गये कथन के समर्थन में दस्तावेज की प्रतियां भी प्रस्तुत की तथा गैरनिगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा नियमानुसार जारी होन से निगरानी खारिज करने बाबत निवेदन किया।

8. पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में किये गय कथन व प्रस्तुत तर्कों पर मनन पश्चात न्यायालय का यह मत है, कि

A. प्रस्तुत प्रकरण में पट्टा संख्या 47 की मूल पट्टा मिसल 06/2017 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर के समक्ष मकान के 300 वर्गगज के पट्टे हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक द्वारा मकान पर अपना 02 वर्ष का कब्जा होना बताया है। आवेदन में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है।

B. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पटटा बनाने हेतु प्रावधान दिया गया है, कि **"ऐसे परिवार, जिनके**

आबादी पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त रिनियमितिकरण के हकदार होंगें। ऐसी भूमि का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।"

चूँकि गैर निगरानीकार संख्या 01 द्वारा अपने आवेदन में स्वयं ने भूखण्ड पर 02 वर्ष पुराना कब्जा बताया है। अतः गैरनिगरानीकार संख्या 01 का आवेदन राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) में बताये प्रावधानों से कवर नहीं होता है जिस कारण गैरनिगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टा हेतु आवेदन प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है।

C. पट्टा 42 की मूल पट्टा मिसल संख्या 06/2017 की आदेशिका दिनांक 21.03.2017 अनुसार गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा अपने पट्टा आवेदन के साथ पट्टा आवेदन शुल्क 20/–रू. एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 (2) के अनुसार निरीक्षण शुल्क 25/–रू. व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 (3) के अनुसार नक्शा शुल्क 25/–रू. जरिये रसिद नम्बर 04 दिनांक 21.03.2017 द्वारा पंचायत कोष में जमा करवाये जाने का हवाला दिया गया है परन्तु उक्त आदेशिका में उक्त दिनांक में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

D. मिसल की आदेशिका में ग्राम पंचायत द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 (2) अनुसार तीन पंचों की कमेटी का गठन किया गया व कमेटी को पंचायत कोरम में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया किया गया। परन्तु उक्त आदेशिका किस दिनांक में लिखी गई यह पत्रावली में अंकित नहीं है।

E. मिसल में उपलब्ध पंचो की कमेटी जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 (2) के तहत पूर्व में गठित की गई थी द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 (3) के तहत तैयार की गई है, के अवलोकन पर पाय गया कि कमेटी में नियुक्त पंचो के हस्ताक्षर हैं व साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर के हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट में कमेटि ने भूमि विक्रय द्वारा अथवा निलामी द्वारा बेचान करने अथवा निःशुल्क देने बाबत अपनी स्पष्ट अनुशंषा नहीं की गई है। ग्राम पंचायत को गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी करने से पूर्व कमेटी से इस संबंध में स्पष्ट अनुशंषा प्राप्त करनी चाहिये थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कमेटि की बिना स्पष्ट अनुशंषा के गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारीक करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

F. तत्पश्चात आगे की आदेशिका में मिशल को कोरम के समक्ष प्रस्तुत करने व गैरनिगरानीकार द्वारा जिस मकान के पट्टे बाबत आवेदन किया है उसे उनके पैतृक हिस्सेवार विरासत में प्राप्त करने की पुष्टि की है जबकी गैरनिगरानीकार सख्या 01 द्वारा स्वयं ने अपने आवेदन व शपथ पत्र में उक्त भूखण्ड पर 02 साल का कब्जा बताया है। पंचायत द्वारा उक्त निर्णय में जिस भूमि को पैतृक बताया है उसे गैरनिगरानीकार संख्या 01 स्वयं द्वारा अपने आवेदन व शपथ पत्र में 02 वर्ष पुराना अपना कब्जा बताया है।

तथ्यों को नजर अंदाज कर उक्त निर्णय लिया है जो अपास्त योग्य है।

G. उक्त आदेशिका में आगे गैरनिगरानीकार के भाईयों एवं पड़ोसियों को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होने व उनकी सहमती की पुष्टि की जाकर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 147 के तहत भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय लेने व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के अन्तर्गत 07 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लेने का हवाला दिया गया है। उक्त आदेशिका किस दिनांक में लिखी गई इसकी तारीख भी आदेशिका में अंकित नहीं है व आदेशिका के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में जारी पत्रावली पर उपलब्ध आपत्तियां मांगने का सूचना नोटिस क्रमांक 2017/72 दिनांक 06.04.2017 इसी आदेशिका में निर्णय के क्रम में ही जारी किया गया है, यह संदेह के दायरे में है।

H. ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त आपत्तियां मांगने का सूचना नोटिस क्रमांक 2017/72 दिनांक 06.04.2017 जो सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर के हस्ताक्षर से जारी है व इसकी पुश्त पर 10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिनके नाम मय सकुनत अंकित नहीं पाये गये जिससे यह स्पष्ट नहीं होता की गवाह के रूप में नोटिस पर किन व्यक्तियों ने तत्समय हस्ताक्षर किये। साथ ही आदेशिका में पंचायत द्वारा 07 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था परन्तु उक्त निर्णय के क्रम में जो आपत्ति नोटिस पंचायत द्वारा जारी किया गया उसमें नोटिस जारी करने से 01 माह तक की अवधी में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत कथन किया गया है। इस प्रकार आदेशिका में लिये गये निर्णय व उस निर्णय की अनुपालना में जारी आपत्ति नोटिस में प्रकरण के संबंध में आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा में एकरूपता नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के कोरम में लिये गये निर्णय से इतर जाकर आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। **चूँकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 (1) अनुसार सामान्य स्थिति में आपत्ति नोटिस जारी करने के 01 माह के भितर–भितर आक्षेप आमंत्रित किये जाने का प्रावधान किया गया है केवल राज्य सरकार के अभियान के दौरान ही 07 दिवस की अवधि में आक्षेप आमंत्रित करने का प्रावधान है।** हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा किसी राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान में नहीं दिया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आदेशिका में 07 दिवस का जो आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत की उक्त आदेशिका में लिये गये निर्णय को अपास्त व रिव्यू किये बिना ही 01 माह की अवधी का जो आपत्तियां मांगने बाबत जो सूचना पत्र क्रमांक 2017/72 दिनांक 06.04.2017 जारी किया गया है उसे भी विधिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को रिव्यू किया जाना आवश्यक था।

पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पैतृक मकान का पट्टा जारी करने का निर्णय दिनांक 05.10.2017 को सर्व सहमति से लिया गया उक्त आदेशिका जिसमें पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, उस आदेशिका के अंत में भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से हस्तगत प्रकरण की विधिकता व पट्टा बनाने हेतु बनाये गये प्रावधानों की ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकरण में पूर्ण पालना की गई हो इस बात पर व हस्तगत पट्टा जारी करने हेतु संपादित की गई सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिये प्रयाप्त है।

J. हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा बिन्दु 8(A) अनुसार गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के प्रावधानों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत गैरनिगरानीकार को पट्टा जारी करने का निर्णय लेना भी आश्चर्यजनक है जबकी उक्त दोनो नियम में पट्टे जारी करने हेतु आधार सर्वथा भिन्न–भिन्न है। अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटि की है, इसमें किसी भी प्रकार का संसय नहीं रह जाता है।

K. पट्टा मिसल में ग्राम पंचायत द्वारा जिन गवाहों के बयानों के आधार पर पट्टा हेतु आवेदित मकान को गैर निगरानीकार का पैतृक माना है का अवलोकन करने पर पाया कि गवाहों ने अपने बयानों में बहुत पुराने समय से जैर निगरानी भूखण्ड पर गैरनिगरानीकार संख्या 01 का कब्जा होने का कथन किया है। परन्तु स्वयं गैरनिगरानीकार द्वारा उक्त भूखण्ड पर स्वयं का 02 वर्ष पुराना कब्जा बताया है। इस प्रकार गवाहों द्वारा उनके बयानों में किये गये कथन प्रथम दृष्ट्या गलत व तथ्यों से विपरित होने से ग्रहण योग्य नहीं है व उक्त तथ्यों से विपरित गलत बयानों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 01 को जो पट्टा जारी करने का जो निर्णय लिया गया है, उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

L. पत्रावली पर निगरानीकार द्वारा उसके पिता श्री मगन सिंह राठौड़ के पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक SPL दिनांक 10.10.2012 जो पूर्व में ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा ही जारी की गई है, से भी यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी भूखण्ड पर गैरनिगरानीकार संख्या 01 का पुराने समय से ही निर्विवाद रूप से पूर्ण कब्जा रहा हो इसमें प्रथम दृष्ट्या संशय है।

M. आबादी क्षैत्र में आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार विधि द्वारा ग्राम पंचायत का प्रदान किया गया है। चूँकि आवासीय पट्टा जारी करना एक विधिक प्रक्रया है अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाना अपेक्षित है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में बिन्दु संख्या 8/A से 8/L में न्यायालय के समक्ष आये तथ्यों के आधार पर न्यायालय का मत है कि गैर निगरानीकार संख्या 01 सुमन कंवर पत्नी श्री करण सिंह द्वारा प्रस्तुत पट्टा आवेदन नियमों के अन्तर्गत पात्र

द्वारा मनमाने ढंग से कार्यवाही संपादीत की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधिकता का पूर्ण विवेचन व परिक्षण किये बिना ही आबादी भूमि का जो पट्टा संख्या 47 दिनांक 21.11.2017 जारी किया गया है उसमें ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा भारी विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उक्त आबादी भूमि का पट्टा संख्या 47 दिनांक 21.11.2017 व उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही को अपास्त व शून्य घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के संदर्भ में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 47 दिनांक 21.11.2017 व इसके जारी करने के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा संपादित की गई समस्त कार्यवाही को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपास्त व शून्य घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना